



भारतीय रिज़र्व बँक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआय/2017-18/181

डीएनबीआर(पीडी)सीसी.क्र.092/03.10.001/2017-18

मे 31, 2018

सर्व सरकारी एनबीएफसी

महोदय/महोदया,

सरकारी मालकीच्या एनबीएफसींना दिलेल्या सूट-सवलती मागे

कंपन्या अधिनियम 2013 च्या (कंपन्या अधिनियम 1956 चे कलम 617) कलम 2 च्या खंड (45) खाली व्याख्या केल्या गेलेल्या, आणि भारतीय रिझर्व बँकेकडे एनबीएफसी म्हणून पंजीकृत केल्या गेलेल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना सध्या पुढील विनियामक व वैधानिक तरतुदींपासून सूट देण्यात येत आहे.

(i) आरबीआय अधिनियम 1934 चे कलम 45-आयबी व 45-आयसी

(ii) महानिर्देश - अब्कीय वित्तीय कंपन्या - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट ठेवी न स्वीकारणारी कंपनी व ठेवी स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश 2016 आणि महानिर्देश - अब्कीय वित्तीय कंपनी - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट नसलेली, ठेवी न स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश, 2016 (ह्या निर्देशांमधील परिच्छेद 23 मधील तरतुदी सोडून)

(iii) महानिर्देश - अब्कीय वित्तीय कंपन्या, सार्वजनिक ठेवींचा स्वीकार (रिझर्व बँक) निर्देश, 2016 (ह्या निर्देशातील परिच्छेद 36, 37 व 41 मधील तरतुदी सोडून)

(2) आढावा घेतल्यानंतर, ह्या परिपत्रकाच्या जोडपत्रात दिलेल्या कालावधीनुसार, हे एनबीएफसी विनियम, सरकारी एनबीएफसींनाही लागू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सरकारी एनबीएफसींनी सादर केलेल्या नियोजनानुसार प्रुडेंशियल विनियमांचे पालन करणा-या सरकारी एनबीएफसी त्यानुसार मार्गक्रमण करणे सुरुच ठेवतील.

(3) आरबीआय अधिनियम 1934 च्या तरतुदीनुसार सूट-सवलतीवरील महानिर्देश, अब्कीय वित्तीय कंपनी - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट नसलेली, ठेवी न स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश 2016, अब्कीय वित्तीय कंपनी - सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट ठेवी न स्वीकारणारी व ठेवी स्वीकारणारी कंपनी (रिझर्व बँक) निर्देश, 2016, आणि अब्कीय वित्तीय कंपन्या, सार्वजनिक ठेवींचा स्वीकार (रिझर्व बँक) निर्देश 2016, हे निर्देश त्यानुसार अद्यावत करण्यात आले आहेत.

(4) आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45एनसी खाली ही सूट मागे घेण्याबाबत आवश्यक ती अधिसूचना वेगळ्याने दिली जाईल.

आपला विश्वासु,

(मनोरंजन मिश्रा)

मुख्य महाव्यवस्थापक

सरकारी एनबीएफसीसाठी कालमर्यादा

| नोंर्म | इतर एनबीएफसीसाठीच्या विद्यमान तरतुदी | सरकारी एनबीएफसीसाठी कालमर्यादा | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| पुडेंशियल नियंत्रण | | | | | | | | | | |
| उत्पन्न ओळख | विहित केल्यानुसार | मार्च 31, 2019 रोजीचा ताळेबंद | | | | | | | | |
| अॅसेट वर्गीकरण | एनबीएफसी-एनडीएसआय व एनबीएफसी-डी - 90 दिवसांचा नोंर्म.; एनबीएफसी-एनडी - 180 दिवसांचा नोंर्म | एनबीएफसी-एनडीएसआय व एनबीएफसी-डी; 120 दिवस - मार्च 31, 2019, 90 दिवस - मार्च 31, 2020; एनबीएफसी एनडीसाठी - 180 दिवसांचा नोंर्म - मार्च 31, 2019. | | | | | | | | |
| तरतुदीकरण आवश्यकता | एनपीएसाठी - निर्देशात विहित केल्यानुसार स्टॅंडर्ड अॅसेटसाठी - एनबीएफसी - एनडीएसआय आणि एनबीएफसी-डी - 0.40%; एनबीएफसी-एनडी - 0.25% | मार्च 31, 2019 रोजी - 100% विहित आवश्यकता | | | | | | | | |
| एनडीएसआय व एनबीएफसी-डीसाठी लागु असलेली कॅपिटल अॅडेक्वसी | सीआरएआर - 15% टायर 1 - 10% | <table border="1"> <tr> <td>10% (किमान टायर 1 - 7%)</td> <td>मार्च 31, 2019</td> </tr> <tr> <td>12% (किमान टायर 1 - 8%)</td> <td>मार्च 31, 2020</td> </tr> <tr> <td>13% (किमान टायर 1 - 9%)</td> <td>मार्च 31, 2021</td> </tr> <tr> <td>15% (किमान टायर 1 - 10%)</td> <td>मार्च 31, 2022</td> </tr> </table> | 10% (किमान टायर 1 - 7%) | मार्च 31, 2019 | 12% (किमान टायर 1 - 8%) | मार्च 31, 2020 | 13% (किमान टायर 1 - 9%) | मार्च 31, 2021 | 15% (किमान टायर 1 - 10%) | मार्च 31, 2022 |
| 10% (किमान टायर 1 - 7%) | मार्च 31, 2019 | | | | | | | | | |
| 12% (किमान टायर 1 - 8%) | मार्च 31, 2020 | | | | | | | | | |
| 13% (किमान टायर 1 - 9%) | मार्च 31, 2021 | | | | | | | | | |
| 15% (किमान टायर 1 - 10%) | मार्च 31, 2022 | | | | | | | | | |
| लीव्हरेज रेशो | एनबीएफसी-एनडींना लागु असल्यानुसार | सरकारी एनबीएफसी-एनडी ह्यांनी अनुपालन करण्यासाठी मार्च 31, 2022 पर्यंत कृतीयोजना तयार करावी. | | | | | | | | |
| कर्ज/गुंतवणुकीची घनता | विहित केल्यानुसार. | विशिष्ट क्षेत्रांना सेवा देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सरकारी कंपन्या, सूट-सवलतींसाठी रिझर्व बँकेकडे जाऊ शकतात. इतरांसाठी मार्च 31, 2022 चा ताळेबंद. | | | | | | | | |
| नोंर्म | इतर एनबीएफसीसाठीच्या विद्यमान तरतुदी | सरकारी एनबीएफसीसाठी कालमर्यादा | | | | | | | | |
| इतर | | | | | | | | | | |
| कॉर्पोरेट इत्यादि | गव्हर्नन्स विहित केल्यानुसार | मार्च 31, 2019 चा ताळेबंद | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| व्यवसाय विनियम पालन (उचित आचार संहिता) | विहित केल्यानुसार | मार्च 31, 2019 चा ताळेबंद |
| ठेवी निर्देश | एनबीएफसी-डीसाठी विहित केल्यानुसार | <ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक ठेवी स्वीकारण्यासाठी इनवेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग - मार्च 31, 2019. इनवेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग असलेली सरकारी एनबीएफसी-डी, केवळ तिच्या एनओएफच्या 1.5 पट ठेवी स्वीकारू शकते. मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवी स्वीकारणा-या सरकारी एनबीएफसी, त्या मर्यादेला पुष्टि मिळेपर्यंत नवीन ठेवी मागविणार नाही किंवा विद्यमान ठेवींचे नूतनीकरण करणार नाहीत. विद्यमान ठेवी, त्यांच्या परिपक्वतेपर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी आहे. इतर सर्व निर्देश, मार्च 31, 2019 च्या ताळेबंदानंतर लागू होतील. |
| वैधानिक तरतुदी | | |
| कलम 45 आयबी | मालमत्तेची टक्केवारी ठेवणे - आऊटस्टँडिंग ठेवींच्या 15% | मार्च 31, 2019 - आऊटस्टँडिंग ठेवींच्या 5% मार्च 31, 2020 - आऊटस्टँडिंग ठेवींच्या 10% मार्च 31, 2021 - आऊटस्टँडिंग ठेवींच्या 12% मार्च 31, 2022 - आऊटस्टँडिंग ठेवींच्या 15% |
| कलम 45 आयसी | राखीव निधी | मार्च 31, 2019 |
